फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

## राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा के न्यायालय में मामला क्रमांक 20260605010000 33 / 2025–2026

विषयः–.....वृक्ष कटाई हेतु अनुमति बाबत्।.....मामले की श्रेणी.....अ–62.....सन.....2025–2026

ग्राम –.....कोरबा.....बन्दोबस्त क्रमांक.....पटवारी हल्का कमांक.....तहसील.....कोरबा.....

कलेक्टर का कमांक.....सन्.....अनुविभागीय अधिकारी का कमांक .....सन्.....2025–2026

तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....नायब तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....

| आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान | पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही<br>जय सिंह नेताम एवं अन्य बनाम छ0ग0शासन | जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ता आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख |
|---|---|---|
| 12/06/2026 | –आवेदक जयसिंह नेताम एवं निवासीगण समस्त वार्ड क्र. 02, रामसागर पारा कोरबा के द्वारा वार्ड कमांक 02 रामसागर पारा कोरबा में साईं मंदिर के पीछे एक विशाल पीपल का पेड़ गिरने का खतरा बना हुआ है। जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। पेड़ अगर किसी मकान पर गिर जाये जो जानमाल का नुकसान हो सकता है। उक्त वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।<br>–प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा छ.ग. के पत्र कमांक/राजस्व/2702 कोरबा, दिनांक 06/05/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि वार्ड कमांक 02 रामसागर पारा कोरबा में साई मंदिर के पीछे एक विशाल पीपल पेड़ का गिरने का खतरा बना हुआ है। जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। उक्त 01 नग पीपल वृक्ष को काटने हेतु प्ररूप –घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।<br>–छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।<br>–छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित हैः–<br>(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,<br>(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,<br>(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में, | |

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा

(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा

(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है। – छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

– छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

–अतः लोक हित, जन धन एवं वृक्ष को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के दृष्टि से छटाई करने की अनुमति दी जाती है।

– आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की छटाई करेगा।

–संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

1886

प्ररूप–ड़
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

जयसिंह नेताम,
निवासी–कोरबा, प.ह.नं.–16
तहसील व जिला –कोरबा,

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष को छटाई करने की अनुमति बाबत्।

———00———

आवेदक जयसिंह नेताम एवं निवासीगण समस्त वार्ड क्र. 02, रामसागर पारा कोरबा के द्वारा वार्ड क्रमांक 02 रामसागर पारा कोरबा में साईं मंदिर के पीछे एक विशाल पीपल का पेड़ गिरने का खतरा बना हुआ है। जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। पेड़ अगर किसी मकान पर गिर जाये जो जानमाल का नुकसान हो सकता है। उक्त वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा छ.ग. के पत्र क्रमांक/राजस्व/2702 कोरबा, दिनांक 06/05/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि वार्ड क्रमांक 02 रामसागर पारा कोरबा में साई मंदिर के पीछे एक विशाल पीपल पेड़ का गिरने का खतरा बना हुआ है। जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। उक्त 01 नग पीपल वृक्ष को काटने हेतु प्ररूप –घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

अतः लोक हित, जन धन एवं वृक्ष को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण की दृष्टि से छटाई करने की अनुमति दी जाती है।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल– 01 नग पीपल वृक्ष को छटाई करने की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभाग–कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ.क 1887 /अ.वि.अ./वाचक/2026 कोरबा, दिनांक 15/06/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा (छत्तीसगढ़) सत्यमेव जयते

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)